भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3236

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का सशक्तीकरण

3236. श्री तापिर गावः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः
श्री अनन्त नायकः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री अभिमन्यु सेठीः
श्री राजकुमार चाहरः
डॉ. संजय जायसवालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत विशेष रूप से राजस्थान के राजसमंद, नाथद्वार, कुम्भलगढ़, भीम, ब्यावर, जैतारण, नागौर और मेड़ता सिटी, जालौर और सिरोही जिलों तथा क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित ओडिशा में जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन में ग्राम पंचायतों और ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(ख) देश में और विशेष रूप से पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभाओं में संकल्प पारित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में ग्राम सभाओं की भूमिका सहित 'हर घर जल' गांवों की प्रमाणन प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी कितनी है,

(ग) इन समुदाय-केन्द्रित दृष्टिकोणों को कार्यान्वित करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और देश में, विशेष रूप से राजस्थान और ओडिशा के जल की कमी वाले क्षेत्रों में, विशेष रूप से क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, जल आपूर्ति सेवाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उनका समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) उक्त राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के दीर्घकालिक प्रचालन और अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यनीतियां अपनाई गई हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से राजस्थान के राजसमंद, नाथद्वार, कुम्भलगढ़, भीम, ब्यावर, जैतारण, नागौर, मेड़ता सिटी, जालौर और सिरोही जिलों और ओडिशा के क्योंझर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला सुनिश्चित पेयजल प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप और ग्रामीणों में स्वामित्व की भावना उद्भूत करने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जेजेएम के तहत जल आपूर्ति प्रणालियों से संबंधित सभी निर्णयों में सामुदायिक भागीदारी और ग्राम स्तर की आयोजना की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, ग्राम पंचायत या इसकी उप-समिति/उपयोगकर्ता समूह अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) या पानी समिति को गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने का अधिकार दिया गया है।

इसके अलावा, जेजेएम के अंतर्गत, किसी गांव में सभी ग्रामीण परिवारों हेतु नल कनेक्शनों का प्रावधान करने के बाद, योजना का कार्यान्वयन करने वाला विभाग ग्राम पंचायत को कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान करता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस पर 'हर घर जल' गांव के रूप में चिह्नित करता है। इसके बाद, ग्राम पंचायत अपनी ग्राम सभा बैठक में कार्य पूरा होने की रिपोर्ट को जोर से पढ़ते हुए, औपचारिक रूप से 'हर घर जल' गांव के रूप में स्वयं को प्रमाणित करते हुए प्रस्ताव पारित करती है। कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण-पत्र की प्रति, ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और ग्राम सभा को कैप्चर करने वाला एक छोटा वीडियो जेजेएम डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है तथा गांव को जेजेएम-आईएमआईएस में प्रमाणित चिह्नित किया जाता है। राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 'हर घर जल' के रूप में संसूचित किए गए लगभग 2.74 लाख गांवों में से लगभग 1.81 लाख गांवों को संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित किया गया है।

जल जीवन मिशन के तहत, गैर-सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) आदि को भी कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) के रूप में पैनलबद्ध किया जा रहा है ताकि जल आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों को योजना बनाने, समुदायों को एकजुट और शामिल करने, सूचना का प्रसार करने तथा महिलाओं

की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान की जा सके और उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके।

ग्रामीण समुदायों में 'स्वामित्व और गौरव की भावना' उद्भूत करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों तथा दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों, वन्य क्षेत्रों, जल की कमी वाले और 50% से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांवों के मामले में गांव में अवसंरचना लागत के 5% की सीमा तक सामुदायिक योगदान के लिए प्रावधान किया गया है तथा शेष गांवों में 10% तक सामुदायिक योगदान के लिए प्रावधान किया गया है।

वीएपी तैयार करते समय, आरएलबी/पीआरआई को जल एवं स्वच्छता हेतु वित्त आयोग के सशर्त अनुदान, जेजेएम, एसबीएम (जी), मनरेगा, एमपी/एमएलए-स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि (डीएमडीएफ), सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का सामंजस्य सर्वोपरि है। दीर्घावधि में, यह आशा की जाती है कि ग्राम समुदाय गांव की दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का सामंजस्यता के साथ उपयोग करेगा।

इसके अलावा, स्थानीय ग्राम समुदाय को संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) शुरू किया गया है ताकि उन्हें व्यापक कौशल प्रदान किया जा सके तथा 'नल जल मित्र' के रूप में तैयार किया जा सके, और वे योजना संचालकों के रूप में कार्य कर सकें तथा मामूली मरम्मत और रखरखाव करने में सक्षम बन सकें, जिसमें कुशल राजमिस्त्री, प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर आदि के रूप में कार्य करके उनके द्वारा अपने गांव में पाइपगत जलापूर्ति स्कीम (स्कीमों) का निवारक रखरखाव करना शामिल है।

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यों की दीर्घकालिक प्रचालन स्थिरता के लिए, राज्यों को एक व्यापक संचालन एवं रखरखाव नीति कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है, जिसमें पंचायतों/पानी समितियों को योजनाओं को सौंपना, उपयोगकर्ता शुल्क, विशेष रूप से ऊर्जा बिलों के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त वित्तपोषण, कौशल विकास और संचालन तथा रखरखाव और जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों के लिए स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति जैसी विशेषताएं शामिल हैं, इनका कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना चाहिए।

***